(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं.27/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि "सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स, चाकू और शौचालयों की मदों को छोड़कर" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51)(एतद्पश्चात इस अधिसूचना में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 6911 या 6912 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो चीन जनवादी गणराज्य (एतद्पश्चात विषयागत देश के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 4 मई, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) भारत को संबद्ध देशोंसे विचाराधीन उत्पाद के निर्यात, उनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए गए हैं ;

(ii) संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योगको आर्थिक क्षति हई है;

(iii) संबद्ध देशां से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों कारण आर्थिक क्षति हुई है,

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने विषयगत देशां से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने

की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट, कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्रस.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (अमरीकी डालर में)	मापनकी ईकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6911, 6912	सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स, चाकू और शौचालय आइटम को छोड़कर	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.04	कि.ग्राम
2	6911, 6912	सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स, चाकू और शौचालय आइटम को छोड़कर	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	1.04	कि.ग्राम
3	6911, 6912	सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स, चाकू और शौचालय आइटम को छोड़कर	कोई	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.04	कि.ग्राम

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, इसके द्वारा इसे घोषित किया जाता है कि ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

(फा.सं.354/91/2017-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार